न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 99 / 2019 दायर दिनांकः 10 / 07 / 2019

उनवान

1. रमेशचन्द उर्फ रामनाथ उम्र 82 वर्ष पुत्र गोरधनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पतल्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

.........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनांक 07 / 04 / 2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 का इस आश्य का पेश किया कि वाके ग्राम एवं माल पतल्या पटवार क्षेत्र मेरमाचाह तहसील अटरू की खाता संख्या 9 का ख0न0 36 रकबा 2.97 है0, ख0न0 127 का रकबा 0.19 है0, ख0न0 128 का रकबा 0.01 है0, ख0न0 141 / 233 का रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.25 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। जिसमें वादी का हिस्सा 1 / 2 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम रामनाथ पुत्र गोरधन जाति राव राजपूत दर्ज है जबकि वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स में वादी का नाम रमेशचन्द पुत्र गोरधनलाल जाति ब्राहमण दर्ज है। जिसकी छायाप्रतियां वाद पत्र के साथ सलंग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादी का नाम रामनाथ पुत्र गोरधन तथा जाति राव राजपूत दर्ज कर दिया गया था जबकि वादी का वास्तविक नाम रमेशचन्द पुत्र गोरधनलाल तथा जाति ब्राहमण वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेज में है जो वादी

का सही नाम व सही जाति है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का गलत नाम रामनाथ व जाति राव राजपूत दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नहीं करवा पा रहा है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। बिना सहायाता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम रामनाथ के स्थान पर रमेशचन्द तथा जाति राव राजपूत के स्थान पर ब्राहमण दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का वास्तविक नाम रमेशचन्द व जाति ब्राहमण दर्ज नहीं किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। अस्तु वादी प्रतिवादी से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में रामनाथ के स्थान पर सही नाम रमेशचन्द व जाति राव राजपूत के स्थान पर ब्राहमण दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 02.05.2019 को पटवार हल्का द्वारा अवगत कराने पर व अन्तिम बार दिनांक 21.06.2019 को तहसीलदार साहब अटरू को नाम व जाति दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र देने पर उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम व माल पतल्या तहसील अटरू जिला बारा में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायाल को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आश्य की सादिर फरमाई जावे कि

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम रामनाथ पुत्र गोरधन जाति राव राजपूत के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र गोरधनलाल जाति ब्राहमण निवासी पतल्या राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करने की कृपा करे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 रमेशचन्द पुत्र गोरधनलाल निवासी पतल्या का शपथ पत्र पेश किया गया तथा ब्यान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम पतल्या की खाता संख्या 9 की कुल किता 4 का कुल रकबा 3.25 है0 आराजी मेरे एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती दर्ज खाता है, उसमें मेरा हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। उक्त आराजी में मेरा नाम रमेशचन्द पुत्र गोरधनलाल जाति ब्राहमण के स्थान पर रामनाथ पुत्र गोरधन जाति राव राजपूत गलत दर्ज कर दिया जबकि मेरा सही नाम रमेशचन्द व जाति ब्राहमण है। Pw_2 हीरालाल पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी पतल्या द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया कि मैं रमेशचन्द को जानता हूॅ यह हमारे गावं पतल्या के रहने वाले है। इसनका खाते में नाम रामनाथ व जाति राव राजपूत गलत दर्ज हो रही है जबकि उनका सही नाम रमेशचन्द है व जाति ब्राहमण है। इनके सभी दस्तावेजों में भी इनका सही नाम रमेशचन्द शर्मा व जाति ब्राहमण दर्ज है इसलिए ग्राम पतल्या की आराजी में इनका नाम रामनाथ के स्थान पर रमेशचन्द व जाति राव राजपूत के स्थान पर जाति ब्राहमण दर्ज किया जाना न्यायोचित है। Pw_3 मोहनलाल पुत्र गणेशराम जाति बैरवा निवासी पतल्या द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया कि मैं रमेशचन्द को जानता हूॅ यह हमारे गावं पतल्या के रहने वाले है। इसनका खाते में नाम रामनाथ व जाति राव राजपूत गलत दर्ज हो रही है जबकि उनका सही नाम रमेशचन्द है व जाति ब्राहमण है। इनके सभी दस्तावेजों में भी इनका सही नाम रमेशचन्द शर्मा व जाति ब्राहमण दर्ज है इसलिए ग्राम पतल्या की आराजी में इनका नाम रामनाथ के स्थान पर रमेशचन्द व जाति राव राजपूत के स्थान पर जाति ब्राहमण दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

4. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम रामनाथ पुत्र गोरधन जाति राव राजपूत के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र गोरधनलाल जाति ब्राहमण निवासी पतल्या राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करने की कृपा करे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पतल्या की जमाबन्दी (प्रदर्श 1) संवत 2072—2075 के खाता संख्या 9 के ख0नं0 36 की 2.97 है0, ख0नं0 127 की 0.

19 है0, ख0नं0 128 की 0.01 है0, ख0नं0 141/233 की 0.08 है0 कुल किता 4 रकबा 3.25 है0 आराजी सहखातेदार रामनाथ हिस्सा 1/2 जाति राव राजपूत के दर्ज खाता स्थित है। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड (प्रदर्श 2 ए) में वादी का नाम रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र गोरधनलाल, आधार कार्ड (प्रदर्श 3 ए) में रमेश चन्द शर्मा पुत्र गोरधन लाल, मतदाता पहचान पत्र (प्रदर्श 4ए) में रमेश चंद पुत्र गोरधन लाल, ड्राइविंग लाईसेंस (प्रदर्श 5ए) में रमेश चन्द शर्मा पुत्र गोरधन लाल शर्मा, कोटा नागरिक सहकारी बैंक की पास बुक (प्रदर्श 6ए) में रमेश चन्द पुत्र गोरधन लाल अंकित है। पंचनामा (प्रदर्श 7ए) अनुसार रामनाथ का सही नाम रमेशचन्द शर्मा है। रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादी का सही नाम दर्ज किया जाना उचित है परन्तु वादी द्वारा जाति संशोधन के समर्थन में कोई भी प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है अतः वादी की जाति में संशोधन नहीं किया जा सकता।

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पतल्या की खाता संख्या 9 के ख0नं0 36 की 2.97 है0, ख0नं0 127 की 0.19 है0, ख0नं0 128 की 0.01 है0, ख0नं0 141/233 की 0.08 है0 कुल किता 4 रकबा 3.25 है0 मे सहखातेदार रामनाथ पुत्र गोरधन के स्थान पर रमेशचन्द उर्फ रामनाथ पुत्र गोरधन दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। उक्त आराजी में जाति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 99/2019

उनवान

1. रमेशचन्द उर्फ रामनाथ उम्र 82 वर्ष पुत्र गोरधनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पतल्या तहसील अटरू जिला बारां राज0। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

.........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–
वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम पतल्या की खाता संख्या 9 के ख0नं0 36 की 2.97 है0, ख0नं0 127 की 0.19 है0, ख0नं0 128 की 0.01 है0, ख0नं0 141/233 की 0.08 है0 कुल किता 4 रकबा 3.25 है0 मे सहखातेदार रामनाथ पुत्र गोरधन के स्थान पर रमेशचन्द उर्फ रामनाथ पुत्र गोरधन दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। उक्त आराजी में जाति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/04/2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)